रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 2000/श्रावण 16, 1922
No. 528] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 2000/SRAVANA 16, 1922

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2000

का.आ. 740 (अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ इक्यावनवां संशोधन) नियम, 2000 है।
   (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—
   (1) प्रथम अनुसूची में, शीर्ष '5. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय' के अधीन, उप-शीर्ष '(iii) पूर्ति विभाग' का लोप किया जाएगा;
   (2) द्वितीय अनुसूची में 'वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय' शीर्ष के अंतर्गत,—

(क) 'क. वाणिज्य विभाग' उप-शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 17 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"18. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, जिसके अंतर्गत उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय भी हैं, और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामग्रियों का क्रय और भण्डार निरीक्षण, उन मदों से भिन्न, जिनका क्रय और सामग्रियों का निरीक्षण किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है।

19. भारतीय पूर्ति सेवा का संवर्ग प्रबंध और उक्त सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जन शक्ति योजना से संबंधित सभी विषय।

20. भारतीय निरीक्षण सेवा का संवर्ग प्रबंध और उक्त सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जन शक्ति योजना से संबंधित सभी विषय।

21. पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली का प्रशासन।";

(ख) 'ख. पूर्ति विभाग' उप-शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

के.आर. नारायणन,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2000-मंत्रि.]
वी.के. गाबा, उप-सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2000

S.O. 740(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hunderd and fifty-first Amendment) Rules, 2000.

(2)They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule, under the heading "5. Ministry of Commerce and Industry (Vanijya aur Udyog Mantralaya)", the sub-heading "(iii) Department of Supply (Poorti Vibhag)" shall be omitted;

(2) in the Second Schedule, under the heading "MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (VANIJYA AUR UDYOG MANTRALAYA)";—

(A) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)", after entry 17, the following entries shall be added namely:—

"18. Purchase and inspection of stores for Central Government Ministries/Departments including their attached and subordinate offices and Union Territories, other than the items of purchase and inspection of stores which are delegated to other authorities by general or special order.

19. Cadre Management of Indian Supply Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for the said Service.

20. Cadre Management of Indian Inspection Services and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for the said Service.

21. Administration of Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.";

(B) the sub-heading "D. DEPARTMENT OF SUPPLY (POORTI VIBHAG)" and the entries relating thereto shall be omitted.

K. R. NARAYANAN,
PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/2000-Cab]
V. K. GAUBA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054